

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-16-3/रा.स./यू.ए.1/05/220

राजभवन, भोपाल - 462 003
दिनांक 06 मार्च, 2025

प्रति,

कुलगुरु,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में सदस्यों का नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित को "अनारक्षित वर्ग" के अंतर्गत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में दिनांक 06.03.2025 से 05.03.2028 तक की कालावधि के लिए सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है :-

1. श्री वेद प्रकाश तिवारी, जूनियर देहली पब्लिक स्कूल के पास,
लक्ष्मीपुरम, विजयनगर, जबलपुर (म.प्र.)
मो. 98276-08038
2. श्रीमती छाया श्रीवास्तव, एच.आई.जी.-28,
भरहुत नगर कालोनी, सतना (म.प्र.)
मो. 90393-69442

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

(सही/-)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश


रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



जबलपुर, दिनांक 7/3/2025

पृ० क्रमांक/अका./2025/162
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
2. राज्यपाल के अपर सचिव, राज भवन, म०प्र०, भोपाल 462 003 ।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
5. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
6. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
7. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।


कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर